एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जोखिम प्रबंधन नीति

जुलाई 2024

सामग्री

1. परिचय कार्यक्षेत्र & उद्देश्य 3

2. जोखिम संस्कृति 3

3. जोखिम शासन 4

3.1 निदेशक मंडल 5
3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) 6
3.3 क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति (सीआरएनपीएसी) 8
3.4 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) 9

रणनीतिक भूमिकाएं 9

निगरानी और रिपोर्टिंग 10

3.5 परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) 10
3.6 आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समिति 11
3.7 निवेश समिति 11
3.8 आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति 12
3.9 मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां 12

4. परिशिष्ट 13

4.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन (आरएमसीबी) 14
4.2 क्रेडिट जोखिम और NPA प्रबंधन समिति (CRNPAC) का गठन – 1 & 2 14
4.3 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) का गठन 14
4.4 परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का गठन 14
4.5 आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 15
4.6 निवेश समिति का गठन 15
4.7 आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समिति का गठन 15
*4.8 नीति संशोधन प्राधिकरण .... **Error! Bookmark not defined.***
*4.9 नीति समीक्षा और अपडेट .... **Error! Bookmark not defined.***
*4.10 पॉलिसी अनुमति .... **Error! Bookmark not defined.***
4.11 संक्षिप्त नाम कुंजी 15
4.12 प्रमुख नियामक परिपत्रों का संदर्भ 16

एक. **परिचय, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य**

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (इसके बाद "एयू एसएफबी" के रूप में संदर्भित) का उद्देश्य बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले सभी जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर काम करना है, जो इसकी जोखिम क्षमता के अनुरूप है। एयू एसएफबी का उद्देश्य जोखिमों के प्रबंधन में खुद को एक उद्योग के नेता के रूप में स्थापित करना है और जोखिम की कुशल सीमा तक पहुंचने का प्रयास करना है और अपने और अपने शेयरधारकों के लिए वापसी करना है, जो इसकी जोखिम भूख के अनुरूप[1] है।

इस दस्तावेज का उद्देश्य निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के भीतर जोखिमों की पहचान, माप, शमन और रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए एक जोखिम संस्कृति और जोखिम शासन ढांचा स्थापित करना है:

१. यह सुनिश्चित करके एक मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना कि जोखिम स्पष्ट रूप से समझे जाते हैं, मापने योग्य और प्रबंधनीय हैं
२. बैंक के जोखिम प्रबंधन की जवाबदेही
३. प्रत्येक व्यावसायिक ऊर्ध्वाधर के साथ वरिष्ठ प्रबंधन जुड़ाव
४. व्यावसायिक लाइनों, भौगोलिक क्षेत्रों और ग्राहक खंडों में जोखिम का विविधीकरण
५. उद्देश्य मैट्रिक्स जोखिम को मापने और कंपनी की जोखिम क्षमता को स्पष्ट करने में मदद करता है। इन उपायों में पूंजी और आय अनुपात, बाजार और चलनिधि जोखिम सीमाएं और ऋण एवं परिचालनात्मक जोखिम लक्ष्य शामिल हैं
६. जोखिम लेना स्पष्ट रूप से परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर होगा। जोखिम की भूख और व्यापार रणनीति का संरेखण जोखिम और व्यावसायिक इकाइयों के बीच एक संयुक्त प्रक्रिया होगी[2]। जोखिम लेने वाली इकाइयां संबंधित व्यवसायों की उत्पत्ति से संबंधित जोखिमों से अवगत होंगी और जोखिम प्रबंधन इकाइयां यह सुनिश्चित करेंगी कि इन जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी, रिपोर्ट और कम करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं लागू की जाएं
७. जोखिम प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए सशक्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे उचित मंच/समिति में मुद्दों को आगे बढ़ाएं
८. जोखिम प्रबंधकों की विशेषज्ञता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी

इस दस्तावेज़ को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और कम से कम वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

दो. **जोखिम संस्कृति**

बैंक पूरे संगठन में एक मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है। एक मजबूत जोखिम संस्कृति को पूरे संगठन में जोखिम और वापसी के प्रबंधन के साथ-साथ बैंक के जोखिम, पूंजी और प्रतिष्ठा के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके बैंक के प्रयासों को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंक अपने कारोबार के संबंध में जोखिमों में शामिल होगा और संगठन के भीतर जोखिम संस्कृति को रेखांकित करने वाले निम्नलिखित सिद्धांत हैं:

१. उठाए गए प्रत्येक जोखिम को अनुमोदित या जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर करने की आवश्यकता है
२. जोखिम एक परिभाषित जोखिम भूख के भीतर लिया जाता है

[1] 'आईसीएएपी' नीति में एक खंड शामिल है जो जोखिम की भूख और संबंधित सहिष्णुता सीमाओं पर अधिक विस्तार से चर्चा करता है
[2] जोखिम इकाइयाँ जोखिम प्रबंधन इकाइयों को संदर्भित करती हैं जो रक्षा की दूसरी पंक्ति के तहत जोखिम जोखिम की निगरानी और प्रबंधन करती हैं, जबकि व्यावसायिक इकाइयाँ जोखिम लेने वाली इकाइयों को संदर्भित करती हैं जो जोखिम की उत्पत्ति करती हैं।

३. जोखिम की निरंतर निगरानी और प्रबंधन किया जाना चाहिए
४. प्रत्येक व्यावसायिक ऊर्ध्वाधर व्यावसायिक योजनाओं के विकास और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है जो कंपनी के जोखिम प्रबंधन के साथ संरेखित होते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले जोखिमों के लिए जवाबदेह होते हैं
५. प्रबंधन टीम यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यावसायिक ऊर्ध्वाधर में निहित जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, अंडरराइटिंग प्रक्रिया में निर्मित नियंत्रणों को कम करना और उपचारात्मक उपायों को लागू करना
६. नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और समीक्षाओं के साथ प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं से यह सुनिश्चित होता है कि ये संगठन के सभी कर्मचारियों द्वारा समान रूप से समझे जाते हैं

सभी स्तरों पर कर्मचारी प्रबंधन और जोखिमों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। एयू एसएफबी कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि वे जोखिम को कम करने के लिए एक मजबूत संस्कृति का समर्थन करने वाले व्यवहार प्रदर्शित करें। इसे बढ़ावा देने के लिए, यह संगठन में सभी स्तरों पर जोखिम प्रबंधन संस्कृति को शामिल करने की दिशा में प्रयास करेगा।

AU SFB की जोखिम प्रबंधन संस्कृति को निम्नलिखित पहलुओं द्वारा समर्थित किया जाएगा:

- शीर्ष पर टोन: शीर्ष पर टोन वरिष्ठ प्रबंधन के जोखिम भूख बयानों, जोखिम सीमाओं और जोखिम रणनीति के संचार को संदर्भित करता है और वांछित जोखिम संस्कृति के निर्माण के लिए आवश्यक उचित जोखिम व्यवहार की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए उनका उपयोग करता है।

- जवाबदेही: जवाबदेही प्रभावी जोखिम शासन के लिए आवश्यक रक्षा की तीन लाइनों (एलओडी) में समितियों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के स्पष्ट और पारदर्शी संचार को संदर्भित करती है, अर्थात, फ्रंट ऑफिस फ़ंक्शंस, जोखिम प्रबंधन और निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा (आईए) भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ एक दूसरे से स्वतंत्र कार्यों द्वारा निभाई जाती हैं।

तीन. **जोखिम शासन**

बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर एक मजबूत जोखिम शासन ढांचा स्थापित किया है:

१. जबकि निदेशक मंडल समग्र शासन और मुख्य जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा, निष्पादन रणनीति को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB) को सौंप दिया जाएगा और आगे क्रेडिट जोखिम और NPA प्रबंधन समिति (CRNPAC), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ORMC), परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (ALCO), निवेश समिति, आईटी और वित्तीय सेवाओं और आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति की आउटसोर्सिंग के लिए समिति।
२. 'रक्षा की तीन पंक्तियों' मॉडल में कर्तव्यों का पृथक्करण, जिसके तहत फ्रंट-ऑफिस फ़ंक्शंस, जोखिम प्रबंधन और निरीक्षण और आंतरिक ऑडिट भूमिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र कार्यों द्वारा निभाई जाती हैं
३. जोखिम रणनीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है और जोखिम, पूंजी और प्रदर्शन लक्ष्यों को संरेखित करने के लिए बैंक की जोखिम भूख के आधार पर परिभाषित किया जाता है
४. सभी प्रमुख जोखिम वर्गों को केंद्रित और विशिष्ट जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है; इन जोखिमों में क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। चूंकि बैंक जोखिम प्रबंधन में परिष्कृत हो जाता है, इसलिए यह अपने व्यवसाय के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप उन्नत जोखिम प्रबंधन मॉडल स्थापित करेगा।

५. जोखिम प्रबंधन क्षमता को सक्षम बनाने के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रणालियां लागू की जाएंगी
६. जोखिम विभाग/कार्य में बैंक और उसके संबंधित व्यवसायों की प्रबंधन समितियों में उचित प्रतिनिधित्व होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यावसायिक निर्णयों में जोखिम को ध्यान में रखा गया है।
७. अनुमोदित जोखिम भूख के खिलाफ प्रदर्शन की निगरानी के लिए जोखिम निगरानी, तनाव परीक्षण उपकरण और वृद्धि प्रक्रियाएं स्थापित की जाएंगी
८. बैंक के पास जोखिम उठाने की क्षमता संबंधी दस्तावेज होना चाहिए जिसे बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित किया जाए।

उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर, बैंक के जोखिम शासन ढांचे में निम्नलिखित शामिल हैं:

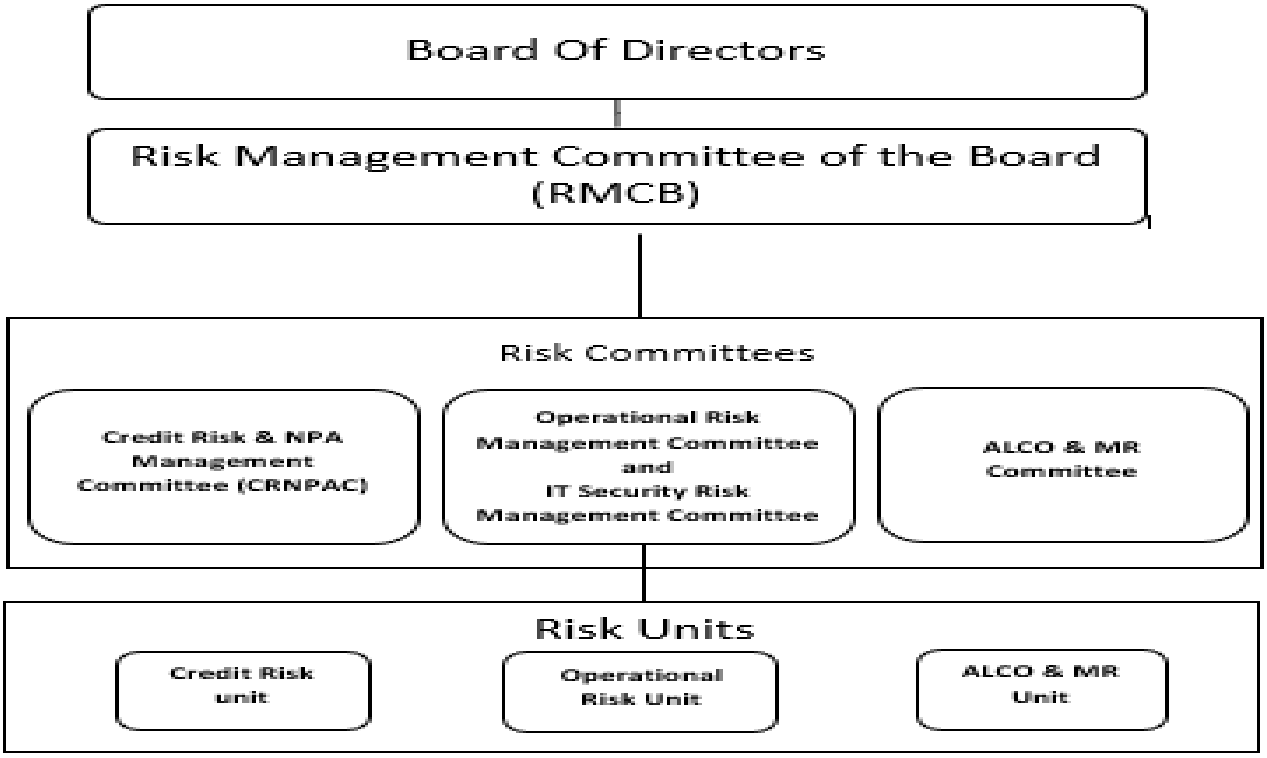

3.1 **निदेशक मंडल**

बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचे के लिए बोर्ड की अंतिम जिम्मेदारी है। बोर्ड मुख्य रूप से बैंक की जोखिम क्षमता, जोखिम सहिष्णुता और संबंधित रणनीतियों और नीतियों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन से संबंधित निदेशक मंडल की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

१. बैंक की जोखिम भूख, जोखिम सहिष्णुता और संबंधित रणनीतियों का अनुमोदन और वार्षिक समीक्षा करना
२. आवश्यकतानुसार व्यापार और जोखिम शासी नीतियों और रूपरेखाओं को मंजूरी देना
३. उपयुक्त प्रबंधन प्राधिकरणों को जिम्मेदारियां सौंपकर और उनकी जवाबदेही तय करके एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति की स्थापना सुनिश्चित करना
४. बैंक द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक पूंजी की पर्याप्तता का आकलन करना
५. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान करना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के पास जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली है, बोर्ड ने आरएमसीबी की स्थापना की है। आरएमसीबी बैंक के जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों और नीतियों, रणनीतियों, भूख, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की निगरानी और समीक्षा के संबंध में बोर्ड की सहायता करता है।

3.2 **बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)**

बोर्ड ने बैंक में जोखिम प्रबंधन की निगरानी और समीक्षा के लिए आरएमसीबी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है। बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन से संबंधित बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

१. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कार्य क्षेत्र जिसमें जोखिम प्रबंधन समिति के अंतर्गत कवर किए जाने वाले बैंक के विभिन्न कार्यों के लिए जोखिम सीमाओं की पर्याप्तता और निगरानी शामिल है।
२. एनपीए प्रबंधन नीति के अनुपालन की समीक्षा।
३. बोर्ड को उनकी समीक्षा/अनुमोदन के लिए जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों, रणनीतियों और रूपरेखाओं की समीक्षा, अनुमोदन या सिफारिश और आवधिक अद्यतन करना
४. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण की प्रक्रियाएं मौजूद हैं
५. जोखिम उठाने की क्षमता और उचित तर्क के साथ इसमें किसी भी संशोधन को स्वीकार करें।
६. एसएफबी के अधिकारियों को अपनी शक्तियों और विवेकाधिकारों को उप-प्रत्यायोजित करना, आगे और जवाबदेही तय करने की शक्ति के साथ या उसके बिना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्यायोजित शक्तियों का विधिवत प्रयोग किया जाता है
७. स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राधिकरण और जिम्मेदारी, पर्याप्त स्टाफिंग और जोखिम प्रबंधन कार्य की स्वतंत्रता के साथ उचित जोखिम संगठन संरचना सुनिश्चित करें
८. निदेशक मंडल की निगरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निदेशक मंडल को उचित और त्वरित रिपोर्टिंग प्रदान करें।
९. विनियमन / नियमों में बदलाव सहित आने वाले नए और उभरते जोखिम के लिए वातावरण को लगातार स्कैन करना जो बैंक के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
१०. एयू एसएफबी के जोखिम प्रबंधन ढांचे (यानी सिद्धांतों, नीतियों, रणनीतियों, प्रक्रिया और नियंत्रण) से संबंधित प्रबंधन से रिपोर्ट की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरे समय सूचित किया जा रहा है।
११. एसएफबी की अनुमानित रणनीति, व्यावसायिक प्रदर्शन या पूंजी पर्याप्तता से संबंधित कारकों में परिवर्तन से संबंधित प्रबंधन से रिपोर्ट की समीक्षा करें
१२. नए और उभरते जोखिमों, विधायी या नियामक पहल और परिवर्तनों, संगठनात्मक परिवर्तन, और अन्य सभी प्रमुख पहलों के निहितार्थ से संबंधित प्रबंधन से रिपोर्ट की समीक्षा करें, ताकि उनकी निगरानी की जा सके।
१३. 4 इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना और परिचालन जोखिम के अंतर्गत ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों सहित मौजूदा प्रणाली की कमियों का उल्लेख करना।

१४. वर्तमान आंतरिक नीति दिशानिर्देशों और समय-समय पर प्रकाशित नियामक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें

१५. प्रदर्शन की समीक्षा करें और मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के लिए उद्देश्य निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि सीआरओ के पास बोर्ड तक निरंकुश पहुंच है।

१६. बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के प्रदर्शन मूल्यांकन की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।

१७. जोखिम प्रबंधन से संबंधित वैधानिक / नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की निगरानी करें

१८. पद्धति, सिस्टम और डेटा की समझ के साथ पूंजी पर्याप्तता गणना की निगरानी और समीक्षा करें

१९. तनाव परीक्षण के परिणामों/विश्लेषण को अनुमोदित करना और आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर कार्य योजनाओं और सुधारात्मक उपायों की निगरानी करना

२०. गैर-अनुपालन की निगरानी और समीक्षा, सीमा उल्लंघनों, लेखा परीक्षा / नियामक निष्कर्षों, और जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ धोखाधड़ी, संभावित नुकसान के संबंध में नीतिगत अपवाद

२१. क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति (सीआरएनपीएसी), परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), निवेश समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग समिति और आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति के कामकाज की निगरानी करें।

२२. बैंक में आउटसोर्सिंग गतिविधियों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट जवाबदेही और जिम्मेदारी सौंपें

२३. बैंक में व्यापार निरंतरता व्यवस्था के लिए व्यापार कार्यक्षेत्रों की स्पष्ट जवाबदेही और जिम्मेदारी सौंपें

२४. बैंक की सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा और अनुमोदन

२५. समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी प्रणालियों को पर्याप्त सुरक्षा नियंत्रण के साथ Au SFB में लागू किया जा रहा है

२६. समय-समय पर सूचना सुरक्षा घटना और सुरक्षा-संबंधित ऑडिट आइटम की समीक्षा करें

२७. किसी अन्य जोखिम संबंधी गतिविधियों/घटनाओं की समीक्षा

उपर्युक्त जिम्मेदारियों के प्रभावी निष्पादन की सुविधा के लिए आरएमसीबी को निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा सहायता दी जाएगी:

- क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति (सीआरएनपीएसी) - 1
- क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति (सीआरएनपीएसी) - 2
- परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समिति

निम्नलिखित मामलों को समिति को सूचित किया जाएगा:

1. गैर-अनुपालन, सीमा उल्लंघनों और लेखा परीक्षा/नियामक निष्कर्षों से संबंधित मामलों को समिति को सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रबंधन द्वारा इसे नियमित करने के लिए प्रस्तावित/किए गए उपाय और भविष्य के शमन उपाय और नियामक रिपोर्टिंग, यदि कोई हो, शामिल हैं।
2. पूंजी पर्याप्तता संगणना से संबंधित पद्धति, प्रणाली और डेटा समिति को रिपोर्ट किया जाना है
3. सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों, सिद्धांतों, रणनीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को क्रेडिट जोखिम और एनपीए समिति द्वारा समिति को सूचित किया जाएगा।

समिति अध्यक्ष बोर्ड को उसकी गतिविधियों/कार्यवाहियों के बारे में रिपोर्ट देगा। बोर्ड द्वारा प्रत्येक बैठक के बाद अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के भीतर सभी मामलों पर पूछे गए प्रश्नों पर कार्रवाई की रिपोर्ट।

3.3 **क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति (सीआरएनपीएसी)**

क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति एयू भर में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन की देखरेख करने और आरएमसीबी को सिफारिशें प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। AU की क्रेडिट जोखिम और NPA प्रबंधन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

१. क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल और संबंधित क्षेत्रों पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करें।
२. सुनिश्चित करें कि संगठन की जोखिम क्षमता स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है, और क्रेडिट संस्कृति जोखिम की भूख के अनुरूप अंतर्निहित है।
३. बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों की निगरानी करना और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम मापदंडों/विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना और जोखिम सांद्रता की निगरानी करना
४. समय-समय पर शुरू की गई नई प्रक्रियाओं/प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए रणनीतियों की समीक्षा और सिफारिश करना, और क्रेडिट जोखिम पर प्रभाव पड़ सकता है
५. संभावित जोखिमों की समीक्षा और प्रबंधन करें जो आवश्यक परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए नियामक परिवर्तनों / या आर्थिक / राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकते हैं।
६. बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण और ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
७. लक्ष्य बाजार, जोखिम स्वीकृति मानदंड, अनुमोदन प्रमाणीकरण और क्रेडिट अनुवर्ती प्रक्रियाओं के दस्तावेज के लिए नीति ढांचे की समीक्षा और अनुमोदन करें
८. सुनिश्चित करें कि बैंक में अच्छी गुणवत्ता वाले क्रेडिट विश्लेषण और ऋण निगरानी पर जोर देने वाली सक्रिय नीतियां अपनाई जाती हैं
९. क्रेडिट जोखिम पद्धतियों के विकास और कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुमोदन
१०. एकल उधारकर्ता, समूह उधारकर्ताओं और क्षेत्रीय धन के नियोजन के लिए मानदंडों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि संबंधित व्यावसायिक इकाइयों द्वारा ऐसे सभी मानदंडों का पालन किया जा रहा है
११. सभी वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, आरएमसीबी के अनुमोदन के अधीन, क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करना, समीक्षा करना और संशोधित करना।
१२. अनुमोदन के लिए आरएमसीबी को क्रेडिट कार्यक्रमों की सीमाओं से संबंधित शक्तियों/विचलन के प्रत्यायोजन की सिफारिश करना और उसी के लिए जवाबदेही स्थापित करना
१३. बड़े एक्सपोज़र की समीक्षा करें
१४. प्रभावी ऋण समीक्षा तंत्र और पोर्टफोलियो प्रबंधन सुनिश्चित करके निगरानी और जोखिम नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करें

१५. पोर्टफोलियो एक्सपोजर और अंतर्निहित एकाग्रता जोखिम (ओं) की निगरानी, समीक्षा और नवीनीकरण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक एक अच्छी तरह से विविध और स्वस्थ पोर्टफोलियो बनाए रखता है
१६. ऋण पोर्टफोलियो के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए पोर्टफोलियो मूल्यांकन, तेजी से पोर्टफोलियो समीक्षा और परिदृश्य विश्लेषण की समीक्षा करें
१७. स्वीकृति के बाद निगरानी प्रक्रियाओं, वृद्धि और अनुवर्ती मैट्रिक्स की समीक्षा और अनुमोदन
१८. स्पष्ट क्रेडिट कमजोरी दिखाने वाले खातों की पहचान के लिए सिस्टम की निगरानी और समीक्षा अग्रिम में अच्छी तरह से और ऐसे खातों के लिए कार्रवाई के कारण की निगरानी करें
१९. ऋण और सेवा गुणवत्ता की निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर ऋण सीमाओं की समीक्षा करें
२०. प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) ढांचे की समीक्षा करें, जिसमें पहचाने गए संकेतों की प्रासंगिकता और क्रेडिट पोर्टफोलियो में ईडब्ल्यूएस के ट्रिगर से जुड़ी कार्रवाई वस्तुओं को पूरा करना शामिल है।
२१. एनपीए की निगरानी सहित ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की समीक्षा और संवर्द्धन की सिफारिश करना और इस तरह समय पर कुशल और प्रभावी प्रबंधन निर्णयों की सुविधा प्रदान करना।
२२. पोर्टफोलियो प्रबंधन, समस्याग्रस्त ऋणों के पुनर्गठन के लिए प्रणाली, अनुवर्ती प्रक्रियाओं और गैर-अनुपयोज्य ऋणों और अग्रिमों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा और सिफारिश करना
२३. सुनिश्चित करें कि बैंक के पास खुदरा पोर्टफोलियो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रेजिमेंटेड संग्रह प्रबंधन ढांचा है।
२४. एनपीए स्थिति की समीक्षा करें, वसूली विभाग के प्रतिकूल प्रवृत्तियों/मुद्दों को उजागर करें और विशिष्ट वसूलियों में तेजी लाने की सिफारिश करें। इसके अलावा, उपयुक्त कार्य योजनाओं पर सहमत हों और उनकी निगरानी करें और अनसुलझे मुद्दों और अप्राप्य कार्यों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करें
२५. ICAAP प्रक्रिया की निगरानी, जिसमें ICAAP और इसकी अंतर्निहित मान्यताओं को चुनौती देना शामिल है
२६. नए भौतिक जोखिम (ओं) की पहचान, भौतिक जोखिमों के स्तर और प्रवृत्ति और पूंजी स्तरों पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना
२७. अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करने में तनाव परीक्षण ढांचे की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना
२८. तनाव परीक्षण ढांचे, जोखिम कारकों, तनाव परिदृश्यों और लागू तनाव के स्तर के कवरेज के दायरे की समीक्षा करना

3.4 **परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO)**

ALCO की प्राथमिक जिम्मेदारी नीतियों, ढांचे, आंतरिक सीमाओं और नियामक सीमाओं की समीक्षा करना और अनुपालन सुनिश्चित करना है। ALCO बैंक की शुद्ध ब्याज आय के साथ-साथ परिसंपत्ति-देयता स्थिति की समीक्षा करेगा। AU SFB के समग्र जोखिम प्रबंधन से संबंधित एसेट लायबिलिटी एंड MR कमेटी (ALCO) की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

रणनीतिक भूमिकाएं

१. जमाराशियों के लिए दिए जाने वाले मूल्य निर्धारण/ब्याज दरों की समीक्षा करें और अनुमोदन करें और उसी पर पूर्व भुगतान में दंड पर निर्णय (बचत और अवधि)
२. सहकर्मी जमा दर की समीक्षा - खुदरा, थोक और बचत
३. रोलओवर और फ्रेश डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट प्रोफाइल, भविष्य की परिपक्वता और रणनीतिक योजना का विस्तृत विश्लेषण।
४. जमाराशियों को जुटाने के लिए विभिन्न देयता टीम के साथ लगातार जुड़ाव
५. जब कभी ऐसे प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो 3 माह की निधि स्थिति का अनुमान लगाना और पूंजी जारी करने सहित लघु उधार और पूंजी नियोजन की समीक्षा करना
६. उधार लेने की समग्र और वृद्धिशील लागत की समीक्षा, निगरानी और पूर्वानुमान करने के लिए

७. बैंक के लिए आकस्मिक निधि योजना की समीक्षा
८. विविध स्रोतों के माध्यम से बैलेंस शीट बेमेल को पाटने के लिए ट्रेजरी उधार योजना की समीक्षा करना और सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए निर्धारित समय के भीतर धन जुटाने की क्षमता का आकलन करना।
९. बैंक के बाजार जोखिम प्रोफाइल और परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल की समीक्षा करें और स्थापित बेमेल सीमाओं और तरलता अंतराल का अनुपालन सुनिश्चित करें
१०. ऋण और अग्रिम के लिए पेश किए जाने वाले एमसीएलआर/ईबीआर की समीक्षा करें और अनुमोदन करें
११. बैंक की निधि अंतरण नीति और कार्यप्रणाली की समीक्षा और अनुमोदन
१२. परिसंपत्ति ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण की समीक्षा करना और अग्रिमों के उचित मिश्रण के लिए योजना बनाना
१३. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले बैंक की एएलएम और बाजार जोखिम नीति की समीक्षा और अनुमोदन करें

निगरानी और रिपोर्टिंग

१. बैंक की आकस्मिक वित्त पोषण योजना सहित वित्त पोषण रणनीति को मंजूरी देना।
२. विभिन्न जोखिम साधनों और नियामक रखरखाव जैसे सीआरआर, एसएलआर, एलसीआर, एसएलएस, एमवीई, एनएसएफआर, सीडी अनुपात आदि के अनुपालन की अद्यतन और समीक्षा करें।
३. अतिरिक्त नकारात्मक अंतराल, और एएलएम जोखिम सीमा आदि सहित इन नीतियों के उल्लंघनों, यदि कोई हो, की पुष्टि करें और अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करें
४. ट्रेजरी, मार्केट रिस्क और एएलएम पर लागू सहिष्णुता सीमाओं में संशोधन की समीक्षा करें और बोर्ड को आवश्यक समझें
५. एएलएम रिपोर्टों को तैयार करने के लिए उपयोग किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, सहित कार्यप्रणाली और बकेटिंग मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन करें।
६. किसी अन्य ALCO संबंधित मामले पर विचार करें और अनुमोदन करें जिसकी RBI द्वारा या अन्यथा आवश्यकता हो सकती है या पेश की जा सकती है

3.5 **परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)**

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति एयू एसएफबी में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन की देखरेख करने और आरएमसीबी को सिफारिशें प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। एयू एसएफबी की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

१. समय-समय पर शुरू की गई परिचालन जोखिम, धोखाधड़ी जोखिम तत्वों से जुड़ी नीतियों, उत्पादों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों और प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा और अनुमोदन
२. जोखिम प्रोफ़ाइल की समीक्षा करें, भविष्य के परिवर्तनों और खतरों को समझें और कार्रवाई के कदमों को प्राथमिकता दें
३. आकलन, रिपोर्टिंग, पूंजी और हानि घटना डेटाबेस सहित जोखिम पद्धतियों और उपकरणों के विकास और कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुमोदन करें
४. आवश्यक परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए नियामक परिवर्तनों / या आर्थिक / राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों की समीक्षा और प्रबंधन करें
५. परिचालन जोखिम और धोखाधड़ी जोखिम के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नियंत्रणों /
६. बैंक के भीतर एक जोखिम जागरूकता संस्कृति को बढ़ावा देना और व्यावसायिक क्षेत्रों और कर्मचारियों को परिचालन जोखिम प्रबंधन के महत्व के बारे में सूचित करना
७. नए उत्पादों/प्रक्रियाओं और उत्पादों/प्रक्रियाओं में किसी भी संशोधन की समीक्षा करके उनमें परिचालन जोखिमों को उजागर करना।
८. बैंक की सहिष्णुता सीमा की समीक्षा करें और सीमा के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में पर्याप्त कार्रवाई करें।

९. आईटीएससी के परामर्श से समय-समय पर साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों सहित आईटी से संबंधित जोखिमों की समीक्षा करें और कम से कम वार्षिक आधार पर इसे अद्यतन करें।

क्रेडिट जोखिम इकाई, बाजार जोखिम इकाई और परिचालन जोखिम इकाई की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के विवरण के लिए क्रमशः लघु वित्त बैंक की 'ऋण जोखिम प्रबंधन नीति', 'परिसंपत्ति देयता और बाजार जोखिम प्रबंधन नीति', 'परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति' देखें।

3.6 **आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समिति**

आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

एक. आउटसोर्सिंग गतिविधियों की प्रकृति, दायरे और जटिलता के अनुरूप ध्वनि और विवेकपूर्ण आउटसोर्सिंग नीति और प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करना।

दो. आउटसोसग व्यवस्थाओं की उनकी निरंतर प्रासंगिकता, सुरक्षा, सुदृढ़ता के लिए आवधिक समीक्षा करना और नए सामग्री आउटसोर्सिंग जोखिमों, यदि कोई हो, की पहचान करना।

तीन. सामग्री आउटसोर्सिंग का एक केंद्रीय रिकॉर्ड सुनिश्चित करें जो बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा के लिए आसानी से सुलभ हो और रिकॉर्ड तुरंत अपडेट किए जाते हैं और बोर्ड के समक्ष अर्धवार्षिक समीक्षा रखी जाती है।

चार. सभी मौजूदा और भावी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और भौतिकता और ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू होने वाली नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा को मंजूरी देना

पाँच. सामग्री आउटसोर्सिंग, व्यापार निरंतरता, आपदा रिकवरी योजना (डीआरपी) के प्रबंधन, और मौजूदा और प्रस्तावित आउटसोर्सिंग व्यवस्था के स्व-मूल्यांकन जैसे पहलुओं को कवर करने वाले आंतरिक दिशानिर्देशों को लागू करना।

छः. उन कार्यों की आउटसोर्सिंग के लिए आरबीआई को रिपोर्ट करना जो प्रकृति में महत्वपूर्ण हैं, या जहां प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के हिस्से के रूप में भौगोलिक स्थिति में व्यापक डेटा साझाकरण शामिल है और जब भारतीय परिचालनों से संबंधित डेटा विदेशों में संग्रहीत/संसाधित किया जाता है।

सात. आउटसोर्स की गई गतिविधियों और निवारण तंत्र से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों की समीक्षा करें

आठ. यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र समीक्षा और लेखा परीक्षा है।

नौ. आउटसोर्सिंग नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करें।

दस.वार्षिक आधार पर बोर्ड को सामग्री आउटसोर्सिंग जोखिमों से संबंधित जानकारी संप्रेषित करें।

ग्यारह. आउटसोर्सिंग गतिविधियों से संबंधित सूचना सुरक्षा जोखिमों, व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली पहलुओं की समय-समय पर समीक्षा करें।

बारह. ओएसपी के पैनल में शामिल करने के लिए विशिष्ट आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुमोदन और समीक्षा करना।

तेरह. जोखिमों की प्रकृति और आउटसोर्सिंग की भौतिकता के आधार पर आउटसोर्सिंग के लिए अनुमोदन प्राधिकरणों को परिभाषित करना।

चौदह. आउटसोर्सिंग रणनीतियों और सभी मौजूदा सामग्री आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा करना।

पंद्रह. संबंधित हितधारकों को आउटसोर्स गतिविधियों से संबंधित जानकारी का पारदर्शी और समय पर संचार सुनिश्चित करना

सोलह. सुनिश्चित करें कि विक्रेता ग्राहक जानकारी की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखता है।

3.7 **निवेश समिति**

निवेश समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

- कोषागार विभाग द्वारा की गई गतिविधियों का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखें
- निवेश नीति में किसी भी बदलाव के लिए सिफारिशों को मंजूरी देना और अनुमोदन/अनुसमर्थन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करना
- बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अनुमत प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए जाने वाले एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेशों पर निर्णय लेना
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम से एएफएस पोर्टफोलियो के बीच प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की अनुमति
- नामित व्यक्तियों को शक्तियां सौंपना क्योंकि यह पात्र प्रतिभूतियों में सौदा करने की अनुमति सहित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त हो सकता है
- अनुमत सीमा से अधिक निवेश को मंजूरी दें जैसा कि नामित डेस्क/व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है
- मासिक आधार पर निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, या अधिक बार आधार पर जैसा कि उचित समझा जाए
- ट्रेजरी टीम द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं के साथ अपवादों की समीक्षा करें और अनुमोदन करें।
- आरबीआई द्वारा समय-समय पर शुरू किए गए विशेष लिखतों या दिशानिर्देशों की समीक्षा और अनुमोदन अर्थात एलटीआरओ, टीएलटीआरओ आदि
- विभिन्न बाजार जोखिम सीमाओं जैसे PV01, स्टॉप लॉस आदि के पालन की समीक्षा और निगरानी करें और समिति को स्थिति प्रस्तुत करें।
- समिति को सीमा उल्लंघनों को प्रस्तुत करें और समीक्षा करें कि सीमा उल्लंघनों को संभालने के लिए ट्रेजरी द्वारा उचित और समय पर कार्रवाई की गई थी या नहीं
- नियमित आधार पर बाजार दृष्टिकोण के बारे में अद्यतन प्रबंधन, मौद्रिक नीति समिति के परिणाम और बाजार और हमारे बैंक पोर्टफोलियो पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें
- ट्रेजरी बिजनेस टीम द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं के साथ अपवादों की समीक्षा और अनुमोदन करें
- उपरोक्त दायरे के लिए प्रासंगिक कोई भी मामला या निवेश समिति के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक।

3.8 **आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति**

आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

१. समय-समय पर पेश की गई आईटी और आईएस जोखिम तत्वों को शामिल करने वाली नीतियों, उत्पादों / प्रक्रियाओं / प्रणालियों और प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा और अनुमोदन करें।
२. जोखिम प्रोफ़ाइल की समीक्षा करें, भविष्य के परिवर्तनों और खतरों को समझें और कार्रवाई के चरणों को प्राथमिकता दें।
३. आकलन, रिपोर्टिंग सहित जोखिम पद्धतियों और उपकरणों के विकास और कार्यान्वयन की समीक्षा करें और अनुमोदन करें।
४. संभावित जोखिमों की समीक्षा और प्रबंधन करें जो आवश्यक परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए नियामक परिवर्तनों / या आर्थिक / राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकते हैं।
५. आईटी और आईएस जोखिम के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नियंत्रणों की समीक्षा और अनुमोदन करें।
६. बैंक की सहिष्णुता सीमा की समीक्षा करें और सीमा के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में पर्याप्त कार्रवाई करें।

3.9 मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

१. एक बैंक और उसके विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों के कुशल और प्रभावी शासन को सक्षम करने के लिए जिम्मेदार।
२. नए उत्पादों/प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग सहित जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और शमन के लिए जोखिम पद्धतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।

३. वास्तविक समय लेन-देन संबंधी जोखिम क्षमताओं और ग्राहक-सामना करने वाले उपकरणों जैसे प्रौद्योगिकी सुधारों को चलाने के लिए जिम्मेदार।

४. भविष्य के परिवर्तनों, खतरों को नियंत्रित करना, निगरानी करना, समझना और अनुमोदित जोखिम मापदंडों के भीतर संभावित जोखिमों को कम करने के लिए कार्यों को प्राथमिकता देना।

५. विनियामक परिवर्तनों/अथवा आर्थिक/राजनैतिक वातावरण में परिवर्तनों तथा नए उत्पादों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की शुरूआत से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों की सक्रिय रूप से समीक्षा तथा प्रबंधन करना।

६. जोखिम प्रबंधन के मुद्दों पर सभी निर्णय लेने के लिए सशक्त जो सीधे कंपनी की रणनीतिक दिशा को प्रभावित करते हैं और जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करते हैं।

७. उत्पाद विकास, ग्राहक सेवा, संचालन, बिक्री, वित्त और केंद्रीय टीमों के साथ निकटता से साझेदारी करते हुए, एंड-टू-एंड प्रोग्राम बनाने के लिए अत्यधिक क्रॉस-फ़ंक्शनल वातावरण में काम करें।

८. लेखा परीक्षा और जोखिम समीक्षा में खोजी गई समस्याओं को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय करें।

९. जोखिम नीतियों और प्रक्रियाओं, जोखिम सीमा और अनुमोदन प्राधिकरणों को विकसित करने के लिए प्रक्रिया का प्रबंधन करें।

१०. जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक-व्यापी ढांचे का विकास और रखरखाव करना ताकि व्यवसाय और समर्थन कार्य परिचालन वातावरण में आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों की लगातार पहचान, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया कर सकें।

११. यह सुनिश्चित करना कि लाइन और कार्यकारी प्रबंधन जोखिमों की निरंतर समझ बनाए रखता है और संबंधित जोखिम प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेता है।

१२. सीआरओ केवल समितियों में सलाहकार क्षमता में काम करेगा (आमंत्रित व्यक्ति के पास मतदान का अधिकार नहीं है) जो क्रेडिट प्रतिबंधों और निवेश से संबंधित निर्णयों से निपटते हैं।

कोई 'दोहरी नफरत' नहीं होगी यानी सीआरओ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के प्रमुख या किसी अन्य कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी

चार. **परिशिष्ट**

खण्ड सं.	उपाधि
4.1	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन
4.2	क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति का गठन
4.3	ALCO और बाजार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन
4.4	परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति का गठन
4.5	आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन
4.6	निवेश समिति का गठन
4.7	आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समिति का गठन
4.8	प्रमुख नियामक परिपत्रों का संदर्भ
4.9	शब्दावली

4.1 **बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन (आरएमसीबी)**

नीचे एयू एसएफबी में आरएमसीबी का संविधान है:

सभापति	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे। समिति का अध्यक्ष बोर्ड की ऐसी किसी समिति का सदस्य नहीं होगा जिसके पास क्रेडिट एक्सपोजर मंजूर करने का अधिदेश है। किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में, समिति उस बैठक के लिए वर्तमान सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है।
सदस्यता	जोखिम प्रबंधन समिति में कम से कम तीन सदस्य और अधिकांश एनईडी होंगे
बैठक की आवृत्ति	लागू विनियामक/व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार
कोरम	जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक के लिए कोरम समिति के 3 सदस्य होंगे। आरएमसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता / योग्यता होगी।
आमंत्रित किए गए लोग	आमंत्रित व्यक्ति लागू नियामक/व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार होंगे।

4.2 **क्रेडिट जोखिम और NPA प्रबंधन समिति (CRNPAC) का गठन – 1 & 2**

CRNPAC-1 और CRNPAC-2 के अध्यक्ष, सदस्य, आवृत्ति & कोरम समय-समय पर MD & CEO द्वारा अनुमोदित समिति चार्टर के अनुसार होंगे। समिति चार्टर इस नीति का अभिन्न अंग होगा।

4.3 **परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) का गठन**

ALCO के अध्यक्ष, सदस्य, आवृत्ति और कोरम समय-समय पर MD & CEO द्वारा अनुमोदित समिति चार्टर के अनुसार होंगे। समिति चार्टर इस नीति का अभिन्न अंग होगा।

4.4 **परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का गठन**

ओआरएमसी के अध्यक्ष, सदस्य, आवृत्ति और कोरम समय-समय पर एमडी और सीईओ द्वारा अनुमोदित समिति चार्टर के अनुसार होगा। समिति चार्टर इस नीति का अभिन्न अंग होगा।

4.5 **आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन**

आईटी सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सदस्य, आवृत्ति और कोरम समय-समय पर एमडी और सीईओ द्वारा अनुमोदित समिति चार्टर के अनुसार होगा। समिति चार्टर इस नीति का अभिन्न अंग होगा।

4.6 **निवेश समिति का गठन**

निवेश समिति के अध्यक्ष, सदस्य, आवृत्ति और कोरम समय-समय पर एमडी और सीईओ द्वारा अनुमोदित समिति चार्टर के अनुसार होगा। समिति चार्टर इस नीति का अभिन्न अंग होगा।

4.7 **आईटी और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समिति का गठन**

आईटी और वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए समिति के अध्यक्ष, सदस्य, आवृत्ति और कोरम समय-समय पर एमडी और सीईओ द्वारा अनुमोदित समिति चार्टर के अनुसार होगा। समिति चार्टर इस नीति का अभिन्न अंग होगा।

4.8 **संक्षिप्त नाम कुंजी**

नहीं।	लघु रूप	या क़िस्म
एक.	एल्को	परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति
दो.	सीआरओ	मुख्य जोखिम अधिकारी
तीन.	सीएफओ	मुख्य वित्तीय अधिकारी
चार.	सीसीओ	मुख्य अनुपालन अधिकारी
पाँच.	सीआईएसओ	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
छः.	सीआरएनपीएसी	क्रेडिट जोखिम और एनपीए प्रबंधन समिति
सात.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आठ.	संपादक	कार्यकारी निदेशक
नौ.	एलओडी	रक्षा की रेखाएँ
दस.	एमडी	प्रबंध निदेशक
9.	ओआरएमसी	परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति
10.	आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
11.	एसएफबी	लघु वित्त बैंक

4.9 **प्रमुख नियामक परिपत्रों का संदर्भ**

नहीं।	परिपत्र	जारी करने की तारीख
(मैं)	आरबीआई मास्टर परिपत्र – विलफुल डिफॉल्टर्स	जुलाई 1, 2014 (07 जनवरी 2015 तक अपडेट किया गया)
(द्वितीय)	(i) परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की मार्गदर्शी टिप्पणियां, 2005 के अनुबंध-1 (पैरा 29)	अक्टूबर 14, 2005
(iii)	"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम", 2015 की धारा 2.1	सितम्बर 2, 2015
(चतुर्थ)	ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के प्रबंधन पर आरबीआई मार्गदर्शन नोट्स, 2002	अक्टूबर 12, 2002
(v)	"बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन", 2012 पर आरबीआई परिपत्र के पैराग्राफ 6	7 नवंबर। 2012
(vi)	आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली पर आरबीआई दिशानिर्देश	10 फरवरी, 1999, 24 अक्टूबर, 2007 और 9 अप्रैल, 2008
(सातवीं)	बैंक में तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई अधिसूचना	नवम्बर 7, 2012
(आठवीं)	घरेलू, साधारण अनिवासी (एनआरओ) और अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) खातों में धारित रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों पर मास्टर परिपत्र	जुलाई 01, 2015
(नौवीं)	अग्रिमों पर ब्याज दरों पर मास्टर परिपत्र	जुलाई 01, 2015
(एक्स)	अग्रिमों पर ब्याज दरों के लिए निधियों की सीमांत लागत के आधार पर आधार दर संगणना पर भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना	दिसंबर 17, 2015
(ग्यारहवीं)	आरबीआई मार्गदर्शन नोट - बाजार जोखिम	अक्टूबर 10, 2002
(बारहवीं)	मास्टर परिपत्र – बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	जुलाई 01, 2015